aglasem.com

FOR MP CPCT EXAM PREPARATION

MP CPCT 2017 Question Paper · Hindi Typing

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT	DATE
MP CPCT	2017	Question Paper	Hindi Typing	19 Nov 2017

SHIFT
Shift 1

cpct

Notations :

1. Options shown in green color and with ✔ icon are correct.
2. Options shown in red color and with ✖ icon are incorrect.

Question Paper Name:	Remington Gail 19th Nov 2017 Shift 1
Subject Name:	Remington GAIL
Creation Date:	2017-11-15 10:53:21
Duration:	25
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No

Mock

Group Number :	1
Group Id :	20620521
Group Maximum Duration :	10
Group Minimum Duration :	10
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	1
Mandatory Break time:	Yes
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	20620521
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	20620521
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 1 Question Id : 20620521 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

बहुत समय पहले की बात है हिमालय के जंगलो में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था एक दिन उसने बारासिंघे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes

Actual

Group Number :	2
Group Id :	20620522
Group Maximum Duration :	15
Group Minimum Duration :	15
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	20620522
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	20620522
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 2 Question Id : 20620522 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

भारतीय संविधान में कही पर भी गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख अब तक नहीं किया गया है लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र तब तक नहीं कहा सकता है जब तक कि उसे निजता का अधिकार प्रदान न किया जाये। उदाहरण के तौर पर, जब पहली बार यह विषय उठाया गया था तो यह बात कही गई थी कि क्या पुलिस बिना वारंट के रात में किसी के भी घर में घुस सकती है, क्या कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी समय किसी के दस्तावेज या संपत्ति को हाथ लगा सकता है ये दोनों ही विवाद निजता के अधिकार अंतर्गत आते हैं। यदि सरकार के पास निजता को हासिल करने का अधिकार होगा तो दस्तावेज सरकार के पास जा सकते हैं सरकार ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि निजता का अधिकार तो है लेकिन वह संपूर्ण अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं होता है, हर अधिकार के साथ कुछ शर्तें होती हैं। उदाहरण के तौर पर बोलने की आजादी है लेकिन अगर कोई ऐसा भाषण दे जिससे लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं तो सार्वजनिक हित में उस बात को रोका जा सकता है। ठीक उसी तरह जीने का अधिकार है, लेकिन फांसी की सजा दी जाती है तो जीने का अधिकार संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सरकार जो संपूर्ण अधिकार की बात कर रही थी वो सही नहीं है। यदि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो सरकार आसानी से इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आपकी गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से पहले सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह हस्तक्षेप किसी कानून के तहत ही किया जाये। उदाहरण के तौर पर सरकार को अगर आपसे कोई जानकारी चाहिए उससे पहले सरकार को बताना होगा किसी कानुन के तहत जानकारी ली जा रही है। यानी जो जानकारी ली जा रही है अगर उसके एक हिस्से का काम का है बाकी की जानकरी का सरकार क्या करेगी। भारत के संविधान की शुरूआत हम भारत के लोग शब्द से होती है, जो इस जगह के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। नागरिकों को यह समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता है और सरकार को प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अपने अधिकारों का एक हिस्सा इसमें शामिल करना होगा। दूसरी ओर नागरिकों के निजी मामलों का निपटाने में सरकार को संयम दिखाना चाहिए और गलत सन्दर्भ में गोपनीयता के उल्लघंन के मामलों से निपटने के लिए विश्वसनीय प्रक्रियाओं को स्थापित करना चाहिए।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes